वाद GCMS NO. 2012/00251 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली बनाम उमेश कुमार वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण मे पटवारी हल्का खुडाला से न्यायालय में तलब वर्तमान में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से ज्ञात है कि अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता न्यायालय में नियत पेशीयों पर अनुपस्थित चल रहे है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 45 साक्ष्य अधिनियम सपठित ऑर्डर 26 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी के संबंध में नगर पालिका खुडाला फालना की रिपोर्ट भी प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली हो चुकी है। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों तथा वर्तमान में पटवारी हल्का खुडाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अलावा और कोई अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा है। जिससे वादी पैरोकार सरकार की मौखिक साक्ष्य का अवसर बंद करते हुए प्रार्थी पैरोकार सरकार के एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकॅर्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण मे वर्णित भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 429 रकबा 1.05 हैक्टर, अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिस भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये मौके पर प्लोटिंग की गई है तथा कुछ भुखण्डों पर रहवासिय मकान बनाने से तहसीलदार बाली से रेकॅर्ड व मौके की जांच के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण का जवाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के साथ ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जो कि यह प्रमाणित करे कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज नहीं है तथा मौके पर उक्त भूमि का कृषि प्रयोजन ही उपयोग हो रहा है। जबकि तसहीलदार बाली द्वारा प्रकरण प्रस्तुती के समय प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न पटवार हल्का खुडाला द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2019 के अनुसार खुडाला के खसरा नंबर 429 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के खातेदार श्री उमेश कुमार पुत्र मोहनलाल, प्रकाश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति लोहार ने मौके पर प्लोट काट रखे है। तथा सीणों के टुकडों से प्लॉट के निशान कर रखे है। एक-दो प्लॉट में मौके पर बाउंड्री भी कर रखी है। मौके पर उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं अपितु अन्य गैर कृषि कार्यो मे उपयोग में आ रही है। इस तथ्य की पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ पेश की गई बेचान रजिस्टीयों की फोटोप्रतियों व प्रस्तुत लेआउट प्लान से भी होती है। वर्तमान में न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट पटवार हल्का खुडाला से तलब की गई है, उस रिपोर्ट में भी पटवारी हल्का खुडाला द्वारा	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

तारीख

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	यह बताया गया हैकि खसरा नबर 429 के संपूर्ण रकबे 1.05 हैक्टर में खातेदारान के द्वारा प्लॉटिंग की गई है तथा कुछ भूखण्डों पर रहवासिय मकान भी बने हुए है। इस प्रकार तमाम तथ्यों के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि खुडाला के खसरा नबर 429 रकबा 1.05 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है परंतू मोके पर उक्त भूमि का कृषि भिन्न प्रयोजन उपयोग हो रहा है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिससे वादी तहसीलदार बाली के आवेदन अनुसार वादग्रस्त भूमि को राजकीय सिवायचक किया जाना न्यायसंगत है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त ग्राम खुडाला के खसरा नबर 429 रकबा 1.05 हैक्टर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत राजकीय सिवायचक घोषित किया जाकर कब्जा राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली आदेश की पालना में भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवार हल्का खुडाला को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हों।
	सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)